

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या...../2023

[एसएलपी (सीआरएल) संख्या -1249/2023 से उत्पन्न]

रमेश चंद्र वैश्य

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

... प्रत्यर्थी

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता

अनुमति अनुदत्त की गई।

2. विशेष अनुमति के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील में अपीलकर्ता के द्वारा दाखिल किए गये दण्ड प्रक्रिया संहिता(एतस्मिन् पश्चात् सी.आर.पी.सी.) की धारा 482¹ के द्वारा आरोप-पत्र के साथ-साथ लंबित आपराधिक कार्यवाही² को रद्द करने की मांग करते हुए दायर आवेदन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय(एतस्मिन् पश्चात् उच्च न्यायालय) के विद्वत न्यायाधीश द्वारा 23 मई, 2022 के आदेश एवं निर्णय के द्वारा खारिज कर दिया गया था को वर्तमान अपील में प्रश्नगत किया गया है।

1 धारा 482 के तहत आवेदन संख्या - 38374/2018

2 मामला अपराध संख्या - 23/2016; आपराधिक वाद संख्या - 376/2016

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3. संक्षेप में, अभियोजन का मामला यह है कि 14 जनवरी, 2016 को, प्रातः 7 बजे, अपीलकर्ता का दूसरे प्रत्यर्थी (शिकायतकर्ता, इसके बाद) के साथ जल निकासी के मुद्दे पर विवाद चल रहा था। यह आरोप लगाया गया है कि इस बहस के दौरान, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के लिए जाति से संबंधित गालियां दीं, और बाद में शिकायतकर्ता पर शारीरिक हमला किया, जिससे उसे कई चोटें आईं। नतीजतन, 20 जनवरी, 2016 को, अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी, इसके बाद) की धारा 323 और 504, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम, इसके बाद) के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एतस्मिनपश्चात्, पहली एफआईआर,) दर्ज की गई।

4. संबंधित सर्कल अधिकारी (एतस्मिनपश्चात् आई. ओ.) द्वारा जांच की गई। जांच के बाद, जो एक दिन के भीतर पूरी हो गई थी, जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमे के लिए भेजने के लिए सामग्री थी और परिणामस्वरूप, उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 323, 504 और 3 (1) (x), एससी/एसटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी, 2016 को एक आरोप-पत्र संबंधित न्यायालय में दायर किया गया था। न्यायालय ने 3 मई, 2016 को अपराध का संज्ञान लिया।

5 इस समय इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता उसी घटना से उत्पन्न एफ. आई. आर. दर्ज करना चाहता था। उसके अनुसार, 14 जनवरी, 2016 को शिकायतकर्ता और उसके बेटे ने उसे बेंत और लाठियों से बुरी तरह पीटा, जिसके परिणामस्वरूप वह भी घायल हो गया। उसी तारीख को, जब अपीलकर्ता ने एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पहुंचा, उसकी एफ. आई. आर. को पंजीकृत नहीं किया गया था, इसके बजाय, अपीलकर्ता का चालान कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 और 116 के तहत संबंधित प्रभारी निरीक्षक द्वारा निरोध में रखा गया। उसके द्वारा जमानतब बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर छोड़ा गया। प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की विफलता के कारण, अपीलकर्ता ने धारा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

156(3), सी.आर. पी.सी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसके तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार, एक एफ.आई.आर. दिनांक 18 फरवरी, 2016 (एतस्मिनपश्चात "दूसरी प्राथमिकी",) को शिकायतकर्ता (दूसरे प्रत्यर्थी) के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325, 392, 452, 504, 506 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।

6. यह भी अंकित किया गया है कि अपीलकर्ता ने सिविल न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा³ संस्थित किया है जिसमें अपीलकर्ता की भूमि पर शिकायतकर्ता के निरंतर अतिक्रमण के विरुद्ध स्थायी व्यादेश की मांग की गई है। यह सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

7. उक्त आरोप-पत्र से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने धारा 482, सीआरपीसी के तहत आवेदन करके 5 अक्टूबर, 2018 को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। पीसी। उन्होंने इसके साथ-साथ उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने की मांग की कि उक्त चार्जशीट में कोई अपराध नहीं है और वर्तमान अभियोजन उत्पीड़न के उद्देश्यों के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से स्थापित किया गया है।

3 2017 का सीएस नंबर 07 4

8. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए प्रथमदृष्टया मामला स्थापित किया गया था, उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर, 2018 के अंतरिम आदेश द्वारा निर्देश दिया कि धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पर विचार किए जाने तक अपीलकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

9 तथापि, एक चुनौतीपूर्ण सुनवाई पर, उच्च न्यायालय ने आरोप-पत्र या संज्ञान लेने में निचले न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई तात्त्विक अनियमितता नहीं पाई और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर

3 सी.एस. संख्या 07/2017

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस स्तर पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि एक संज्ञेय अपराध के बारे में नहीं बताया गया है क्योंकि उक्त आरोप तथ्यात्मक प्रकृति के हैं और उन्हें सिद्ध करने के लिए पक्षकारों द्वारा साक्ष्य की आवश्यकता होगी। **मोहम्मद अलाउद्दीन खान अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**⁴ वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय और/या उन्मोचन के चरण में न्यायालय के पास सीमित अधिकार क्षेत्र है और वह यह अवधारित करने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता क्योंकि प्रथमदृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने यह अंकित किया कि साक्ष्य के बिना, इस स्तर पर आरोपों की सत्यता का पता लगाना संभव नहीं है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आरोप-पत्र या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन को बनाए रखा जा सकता है।

10. अपीलकर्ता की ओर से सुश्री शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं:

- a. पहला एफ. आई. आर., जो छह दिन की देरी के बाद पंजीकृत किया गया था, विचार के बाद और शिकायतकर्ता के आरोपों पर गंभीर संदेह पैदा करता है।
- b. प्रथम एफ. आई. आर. के पंजीकरण के अगले ही दिन उचित अन्वेषण किए बिना आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दायर दूसरे एफ. आई. आर. एवं चिकित्सीय रिपोर्ट को आरोप पत्र में नजर अंदाज कर दिया गया था।
- c. शिकायतकर्ता, गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण, पक्षकारों के बीच सिविल न्यायालय में पहले से लंबित सिविल विवाद का निस्तारण करने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की।
- d. पुलिस ने अपीलार्थी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। दूसरा एफ. आई. आर. दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की

4 (2019) 6 scc 107

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

धारा 156 (3) के तहत अपीलार्थी के आवेदन पर एक आदेश पारित करने के बाद ही पंजीकृत किया गया था।

e. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य⁵ को इस तर्क के समर्थन में रखा गया था कि यदि एफ. आई. आर. की अंतर्वस्तु, उसके बाहरी आवरण के आधार पर ली गई है, तो अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, तो ऐसे विरोधी उद्देश्य वाले एफ. आई. आर. को खारिज किया जाना चाहिए।

f. हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और एक अन्य⁶ वाले मामले को भी इस तर्क का समर्थन करने के लिए रखा गया था कि उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग करने को नजरअंदाज कर दिया और न ही पहले एफ. आई. आर. की सामग्री और न ही आरोप-पत्र में अपीलकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई गाली – गलौज की भाषा की सटीक सामग्री का खुलासा किया ताकि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।

11. तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकृत किया जाए।

12 इस अपील को खारिज करने की मांग करते हुए प्रथम प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से उपस्थित विद्वत अपर महाधिवक्ता श्री प्रसाद ने निम्नलिखित रूप में प्रतिवाद किया:

a. अपीलकर्ता ने एक गंभीर अपराध किया था जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को परिणामी विवाद में कई चोटें आई थीं।

b. पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान और उसके बाद की जांच के आधार पर उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निचली विचारण न्यायालय के समक्ष 21 जनवरी, 2016 को आरोप-पत्र दाखिल किया।

5 1992 supp(1) scc 335

6 (2020) 10 scc 710

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

c. उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को रद्द आदेशने के लिए उचित रूप से खारिज आदेश दिया है।

d. यह स्थापित विधि है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग पूर्ण सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार करने में गलती नहीं की थी।

13. श्री शुक्ला, शिकायतकर्ता (दूसरे प्रतिवादी) की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन किया। उनके अनुसार, जांच अधिकारी द्वारा एक दिन के भीतर जांच का पूरा होना असामान्य लग सकता है लेकिन यह असंभव नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोप-पत्र दायर किए जाने के बाद कानून को अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि अपीलकर्ता आरोपों की विरचना से व्यथित है तो वह कानून के अनुसार अपना उपचार मांग सकता है। अपीलकर्ता द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया था, श्री शुक्ला ने अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

14. हमने पक्षकारों को सुना है और रिकॉर्ड पर उपस्थित सामग्री के साथ उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश का अवलोकन किया है।

15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (x), एस. ओ. 152 (ई) दिनांक 18 जनवरी, 2016 द्वारा इसके संशोधन को अधिसूचित करने से पहले, इस प्रकार है:

“ 3.अत्याचार के अपराधों के लिए दंड -(1) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, *

(x) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करता या डराता है;

* * *

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

16. शिकायतकर्ता के अनुरोध पर पंजीकृत प्रथम एफ. आई. आर. घटना के स्थान के बारे में कुछ नहीं बताती है और जो, जनता में से एक के होने के नाते, उस समय उपस्थित था जब अपीलकर्ता पर जाति संबंधी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, अपीलकर्ता के आदेश पर पंजीकृत दूसरे एफ. आई. आर. के पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना अपीलकर्ता के घर पर हुई थी।

17. पहला प्रश्न जो उत्तर की मांग करता है वह यह है कि क्या यह सार्वजनिक दृष्टि में था कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता का अपमान करने या उसे अपमानित करने के इरादे से जाति संबंधी गालियां दीं। जांच अधिकारी द्वारा 21 जनवरी, 2016 को दायर आरोप-पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 323 और 504 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए तीन गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करना होगा। न तो प्रथम एफ. आई. आर. और न ही आरोप-पत्र घटना के स्थान पर (अपीलकर्ता, उसकी पत्नी और उसके बेटे के अलावा) पांचवें व्यक्ति (जनता के एक सदस्य) की उपस्थिति का उल्लेख करता है। क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया कथन, यदि कोई हो, सार्वजनिक दृष्टि के भीतर किसी भी स्थान पर नहीं था, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) को आकर्षित करने के लिए मूल घटक गायब/अनुपस्थित था। इसलिए, हम मानते हैं कि घटना के समय (अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को जाति से संबंधित गालियां देने की) प्रासंगिक बिंदु पर, जनता का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।

18. इसके अलावा, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपमान या अपमानित करने के उद्देश्य से जाति संबंधी गालियां दी थीं, यह शिकायतकर्ता के मामले को एससी/एसटी अधिनियम के) धारा 3(1) (x) के दायरे में लाने के लिए आगे नहीं बढ़ाता है। हमने पहली F.I.R से नोट किया है। साथ ही आरोप-पत्र कि इसमें अपीलकर्ता के 9 वें पाठ्यक्रम के मौखिक विवाद के दौरान या शिकायतकर्ता की जाति का कोई संदर्भ नहीं

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

है, सिवाय इस आरोप/टिप्पणी के कि जाति-संबंधी गालियां दी गईं। विधायी आशय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए किया गया प्रत्येक अपमान या डराना-धमकाना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि किसी विशेष अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होने के कारण इस तरह के अपमान या धमकी को लक्षित नहीं किया जाता है। यदि कोई किसी अन्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर बेवकूफ (बेवकूफ) या मूर्ख (मूर्ख) या चोर (चोर) कहता है, तो यह स्पष्ट रूप से अपमानजनक या आक्रामक भाषा के उपयोगकर्ता द्वारा अपमान करने या अपमानित करने का इरादा रखता है। यहां तक कि यदि यह सामान्य रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निर्देशित किया जाता है, जो अनुसूचित जाति या जनजाति है, तो भी धारा 3 (1) (x) को आकर्षित करना पर्याप्त नहीं हो सकता है जब तक कि ऐसे शब्दों को जातिवादी टिप्पणियों के साथ जोड़ा न जाए। चूंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 धारा 438, Cr.PC के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र के आह्वान पर रोक लगाती है और अन्य कानूनों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधिभावी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय है कि एक अभियुक्त के अधीन है धारा 3(1)(x) के तहत अपराध के कथित कृत्य के लिए उसका विचारण चलाया जाता है तो उसके द्वारा सार्वजनिक दृश्य के किसी भी स्थान पर किए गए बयानों को रेखांकित किया गया है, यदि एफ.आई.आर. में नहीं है। (जो सभी तथ्यों और घटनाओं का एक विश्वकोश होना आवश्यक नहीं है), लेकिन कम से कम चार्जशीट में (जो या तो जांच के दौरान या अन्यथा रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार किया गया है) ताकि अदालत को यह पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके क्या चार्जशीट अपराध का संज्ञान लेने से पहले, एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक अपराध का मामला बनता है, जो उसके समक्ष स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एक उचित राय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान प्रकृति के मामले में लागू किए जाने वाले सीमित परीक्षण के लिए भी, 21 जनवरी,

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

2016 का आरोप-पत्र धारा 3 (1) (x) के तहत अपीलकर्ता द्वारा किए गए किसी अपराध का कोई मामला नहीं बनाता है, जिससे उसे मुकदमा चलाने की आवश्यकता हो।

19. श्री शुक्ला द्वारा उद्धृत हितेश वर्मा उपरोक्त में विनिश्चय के पैरा 15 और 16 को उस दृष्टिकोण के समर्थन में मदद के लिए जोर दिया जा सकता है जिसको उपर उद्धृत किया जा चुका है।

20. दूसरा प्रश्न जो हमारा ध्यान आकर्षित करेगा, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों को भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 323 और 504 के अधीन दंडनीय अपराधों के आरोप का सामना कर रहे अपीलकर्ता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा से उपहति कारित करने के लिए दंड विहित करती है। भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 319 में उपहति को किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रथम एफ. आई. आर. में आरोप है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को पीटा था जिसके कारण से उसे कई चोटें आई थीं। हालांकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटना कई लोगों ने देखी और उसके हाथ पर चोट लगी, लेकिन आरोप-पत्र में शिकायतकर्ता की पत्नी और बेटे के अलावा किसी अन्य चश्मदीद गवाह का जिक्र नहीं है और न ही किसी मेडिकल रिपोर्ट का। प्रक्रिया में शिकायत आरोप-पत्र द्वारा लगी चोट की प्रकृति न तो प्रथम एफ. आई. आर. और न ही आरोप-पत्र से परिलक्षित होती है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने घटना के तुरंत बाद घायलों का इलाज करवाया था।

वर्तमान कार्यवाही में पहले प्रत्यर्थी (राज्य) द्वारा दायर प्रत्युत्तर शपथपत्र में, इस संबंध में विचार करने योग्य कोई सामग्री नहीं है, सिवाय एक स्पष्ट बयान के कि शिकायतकर्ता के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में कई चोटें

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

आई हैं। यदि वास्तव में शिकायतकर्ता के कथन पर विश्वास किया जाए तो जांच अधिकारी को उसका समर्थन करने के लिए एक चिकित्सा रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। किसी दिए गए मामले में एक दिन के भीतर जांच को पूरा करने की सलाहना की जा सकती है, लेकिन वर्तमान मामले में यह न्याय के हित के कारण यह सेवा में अधिक नुकसान पहुंचाता है। स्थिति तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब इस कार्यवाही के दौरान प्रथम प्रत्यर्थी सहित पक्ष हमें दूसरी एफ.आई.आर. के परिणाम से अवगत कराने में असमर्थ होते हैं। किसी भी स्थिति में, हम अभियोजन पक्ष के मामले में ऐसी कोई सच्चाई नहीं पाते हैं जिससे धारा 323, आईपीसी की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति मिल सके।

22. फियोना श्रीखण्डे अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य⁷ वाले धारा में इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने का अवसर मिला कि:

“13. भारतीय दंड संहिता की धारा 504 में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं (क) जानबूझकर किया गया अपमान, (ख) अपमान ऐसा होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को उकसाए और (ग) अभियुक्त का इरादा होना चाहिए या उसे यह पता होना चाहिए कि इस तरह के उकसावे से दूसरा व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध करेगा। जानबूझकर किया गया अपमान इस हद तक होना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाए। जो व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है या यह जानता है कि यह किसी अन्य व्यक्ति को उकसाएगा और इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग होगी या कोई अन्य अपराध होगा, ऐसी स्थिति में धारा 504 के तत्व संतुष्ट होते हैं। अपराध का गठन करने वाले आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि ऐसा कोई कार्य या आचरण किया जाना चाहिए जो जानबूझकर अपमान के बराबर हो और यह तथ्य कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्यवहार किया है, आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषसिद्धि का वारंट देने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

23. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हमें यह मानने में थोड़ी हिचकिचाहट है कि भले ही अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता का दुरुपयोग, दुरुपयोग करना किया हो, लेकिन ऐसा दुरुपयोग, दुरुपयोग

7 (2013) 14 scc 44

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

करना अपने आप में और किसी और चीज के बिना अपीलकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर की अनुपस्थिति में करता है, विशेष रूप से इस तरह के जानबूझकर अपमान के घटक के स्पष्ट अभाव में कि यह एक व्यक्ति को सार्वजनिक शांति को तोड़ने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसा सकता है।

24. हम अभिलिखित करते हैं कि उच्च न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में आरोप-पत्र सहित दंडिक कार्यवाहियों की चुनौती की सराहना करने में विफल रहने में स्वयं को गलत निर्देशित किया और इस तरह की चुनौती को अस्वीकार करने में न्यायाधीश की गंभीर विफलता को जन्म दिया।

25. उपर्युक्त कारणों से, हम बेहिचक यह अभिनिर्धारित करते हैं कि यह आपराधिक मामला संख्या 376/2016 को जारी रखने की अनुमति देने के लिए विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना होगा। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हुए, हम आपराधिक मामला संख्या 376/2016 को भी रद्द करते हैं।

26 परिणामतः, यह अपील सफल होती है। तथापि, पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

.....
न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट्ट
.....

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता

नई दिल्ली

19 मई, 2023.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।